न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2018RAAJu223RTA168 Nathi Vs Jagmalram etc

नाथी पुत्री भंवरलाल बावरी
निवासी सोपडा, तहसील भोपालगढ
जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट

ब

ना

म

1. जगमालराम पुत्र केसाराम बावरी
2. रामेश्वर पुत्र भंवरलाल बावरी
3. सहीराम पुत्र भंवरलाल बावरी
4. गलकाई पत्नी भंवरलाल बावरी
5. कालुराम पुत्र चुतराराम बावरी
6. बाबूराम पुत्र चुतराराम बावरी
7. झीपरराम पुत्र चुतराराम बावरी
8. गोदावरी पत्नी चुतराराम बावरी
   निवासीगण सोपडा, तहसील भोपालगढ
   जिला जोधपुर
9. तहसीलदार भोपालगढ, जिला जोधपुर

----- रेस्पो.

राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ दिनांक 07 जून 2017 राजस्व वाद संख्या 5/2014 जगमाल बनाम रामेश्वर

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री रामप्रकाश चौधरी, अधिवंक्ता रेस्पो. संख्या एक
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 9
रेस्पो. संख्या दो से आठ बावजूद सूचना अनुपस्थित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नि र्ण य

दिनांक : 31 अक्तू., 2019

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ द्वारा राजस्व वाद संख्या 5/2014 जगमालराम बनाम रामेश्वर में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07 जून 2017 के खिलाफ अपीलाण्ट ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 27 नवम्बर 2018 को पेश की है। अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया। एक अन्य प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र सिविल प्रकिया संहिता की धारा 96 के अन्तर्गत पेश कर वादग्रस्त आराजी में स्वयं का हक-हिस्सा होना जाहिर करते हुए खुद को इस मामले में आवश्यक पक्षकार होने के कारण अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. संख्या एक जगमाल ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 एवं 188 के तहत एक राजस्व वाद ग्राम सौपडा तहसील भोपालगढ स्थित आराजी खसरा संख्या 309/1 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा एवं खसरा संख्या 309/मिन रकबा 15 बीघा कुल रकबा 20 बीघा 18 बिस्वा वादी-रेस्पो. संख्या एक तथा प्रतिवादीगण-रेस्पो. संख्या 2 से 8 की संयुक्त खातेदारी की भूमि होना तथा उसमें स्वयं का ½ हिस्सा तथा प्रतिवादीगण-रेस्पो. संख्या 2 से 8 प्रत्येक का 1/10 हिस्सा होना जाहिर करते हुए तदनुसार वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। प्रतिवादीगण की ओर से उक्त वाद का जबाब पेश कर विरोध किया गया। इसके बाद प्रकरण तनकियात कायमी हेतु चलने के दौरान वादी की ओर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

से एक लिखित प्रार्थनापत्र पेश कर जाहिर किया गया कि वादी इस प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जबाबदावे से पूर्णतया सहमत है। उक्त प्रार्थनापत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07 जून 2017 पारित कर विभाजन प्रस्ताव तलब किये। उक्त निर्णय एवं डिक्री के खिलाफ अपीलाण्ट द्वारा आलौच्य अपील पेश की गयी है।

बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता-अपीलाण्ट का कथन है कि वादी-रेस्पो. संख्या एक वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी होने के आधार पर वाद लेकर आये है, अपीलाण्ट नाथी भंवरलाल की पुत्री है और पुत्री होने के कारण भंवरलाल के हिस्से की भूमि में उसका भी हक-हिस्सा बनता है। उसके द्वारा इन्ही पक्षकारान और इन्हीं वादग्रस्त आराजियात के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के तहत एक दावा विचाराधीन चल रहा है, इस प्रकार अपीलाण्ट का भी वादग्रस्त आराजियात में हक एवं अधिकार है मगर इसके उपरान्त भी आलौच्य मामले में अपीलाण्ट को पक्षकार नहीं बना कर वादी-रेस्पो. संख्या एक तथा प्रतिवादीगण-रेस्पो. संख्या दो से आठ ने परस्पर दुरभिसंधि करते हुए अपीलाण्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित रखा और अपीलाण्ट की जानकारी के बिना अधीनस्थ न्यायालय में समझौता पेश कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपने पक्ष में प्राप्त कर लिये। पटवारी हळका अपीलाधीन निर्णय की पालना में दिनांक 30 अक्तूबर 2018 को मौके पर रिपोर्ट बनाने हेतु आया और कार्यवाही आरम्भ की, तब अपीलाण्ट के टोकने पर अपीलाधीन निर्णय बाबत बताया। उसके बाद अपीलाण्ट द्वारा विधिवत नकल की कार्यवाही कर आलौच्य अपील पेश की गयी है, जो मियाद प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र में अखण्डित तथ्यों को स्वीकार किया जाकर मियादशुमार की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जबाब में विद्वान अधिवक्ता रेस्पो. ने कथन किया कि अपीलाण्ट को यह अपील लाने का अधिकार ही नहीं है क्योंकि अपीलाण्ट इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार ही नहीं रही है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट अपना दावा होना जाहिर करती है, मगर न तो कोई वाद संख्या बतायी है और न ही दावे से संबंधित कोई आदेशिका या अधीनस्थ न्यायालय का कोई आदेश ही इस संबंध में अपने कथन की पुष्टि हेतु पेश किया है। वादी-रेस्पो. संख्या एक ने अपने वाद में अभिलिखित सहखातेदारान को ही पक्षकार बनाया है, अपीलाण्ट रिकार्डेड सहखातेदार नहीं है। अपील जानकारी की दिनांक 3 अक्तूबर 2018 के बाद भी दिनांक 27 नवम्बर 2018 पेश को गयी और इस अवधि का कोई संतोषप्रद कारण मियाद प्रार्थनापत्र में वर्णित नही किया गया है। इस कारण मियाद प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे और तदनुसार अपील मियाद-बाधित होने से खारिज की जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का अनुरोध किया।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। आलौच्य मामले में वादी-रेस्पो. संख्या एक द्वारा वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी सम्पत्ति होकर पूर्व में ½ हिस्सा स्वयं के पिता केसाराम तथा ½ हिस्सा प्रतिवादीगण-रेस्पो. संख्या 2 से 8 के पूर्वज चुतराराम का होना मूलवाद के पद संख्या दो में जाहिर किया है। अपने पिता केसाराम के देहान्त के बाद उनके हिस्से की भूमि अपनी माता केलकी, तथा केलकी के देहान्त के बाद स्वयं के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज होना जाहिर किया। चुतराराम के देहान्त के बाद उसके हिस्से की भूमि उसके मृत पुत्र भंवरलाल के वारिसान रामेश्वर, सहीराम पिसरान

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

भंवरलाल तथा गलकाई पत्नी भंवरलाल और स्वयं चुतराराम के अन्य वारिसान कालूराम, बाबूराम, झीपरराम पिसरान चुतराराम तथा गोदावरी पत्नी चुतराराम के नाम दर्ज होना तथा वादग्रस्त आराजियात में स्वयं का ½ और प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या 2 से 4 व 5 से 8 प्रत्येक का वादग्रस्त 1/10 हिस्सा होना बताया है। अपीलाण्ट भंवरलाल की पुत्री है, इसका खण्डन या आपत्ति रेस्पो. की ओर से नहीं की गई है। चूंकि दावे में भूमि पुश्तैनी होना तथा भंवरलाल के अन्य वारिसान को पक्षकार बनाया गया है परन्तु अपीलाण्ट नाथी को पक्षकार नहीं बनाया गया, इसलिए वह भी आवश्यक पक्षकार ठहरती है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय में दो पृथक-पृथक वाद वादग्रस्त आराजी बाबत विचाराधीन रहते वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा आपसी सहमति जताते अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राप्त की, जिसकी जानकारी अपीलाण्ट को नहीं रही है, इसलिए अपील मियाद के बिन्दु पर तकनीकी रूप से खारिज की जाने की बजाय न्यायहित में गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु अन्दर मियादशुमार की जाती है। भंवरलाल की पुत्री होने के नाते उसको प्राप्त पुश्तैनी भूमि में उसका जन्म से ही हक-हिस्सा निहित है, लिहाजा सीपीसी की धारा 96 के तहत पेश आवेदन स्वीकार किया जाता है और गुणावगुण पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07 जून 2017 निरस्त किये जाते है तथा मामला इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय अपीलाण्ट को पक्षकार के रूप में संयोजित कर उसको सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करने के पश्चात यदि उचित समझे तो नाथी द्वारा प्रस्तुत विचाराधीन वाद को इस मामले में हमफीता करते हुए, अन्यथा गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से निर्णय पारित करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/X/19

राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर